



राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ1(1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2017

दिनांक 04-10-2017

::आदेश::

उद्योग विभाग के निम्नलिखित अराजपत्रित कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या-6 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति दिनांक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्ति आदेश जारी करेंगे।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री ओमप्रकाश वर्मा	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के. राजसमंद	10.01.1958	31.01.2018
2	श्री रमेशकुमार	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	18.01.1958	31.01.2018
3	श्रीराजेन्द्रप्रकाश व्यास	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.पाली	27.01.1958	31.01.2018
4	श्री हजारीसिंह चौहान	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.राजसमन्द	01.02.1958	31.01.2018
5	श्री रामरतन व्यास	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.बीकानेर	14.02.1958	28.02.2018
6	श्री रमेश शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय	23.02.1958	28.02.2018
7	श्रीमती रेखा सक्सेना	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के.चित्तौड़गढ़	13.03.1958	31.03.2018
8	श्री भागमल	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.जयपुर (श.)	03.04.1958	30.04.2018
9	श्री महेशकुमार पारीक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्यालय	04.04.1958	30.04.2018
10	श्री प्रेमप्रकाश माथुर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय	15.04.1958	30.04.2018
11	श्री चूनसिंह रावत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के.राजसमन्द	03.05.1958	31.05.2018
12	श्री मोहनलाल बलाई	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.दौसा	05.05.1958	31.05.2018
13	श्रीमतीमंजूबाला दाधीच	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के.कोटा	11.05.1958	31.05.2018
14	श्री गोविन्दसहाय पारीक	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	21.06.1958	30.06.2018
15	श्री हरि सिंह भाटी	वरिष्ठ सहायक	जि.उ.के., पाली	23.06.1958	30.06.2018
16	श्री भौरीलाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्यालय	25.06.1958	30.06.2018
17	श्री देवी सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के., जोधपुर	03.07.1958	31.07.2018
18	श्री निरंजन लाल शर्मा	निजी सहायक	जि.उ.के., अलवर	05.07.1958	31.07.2018
19	श्री बलवीर सिंह काला	उद्योग प्रसार अधिकारी	जि.उ.के., झुंझुनू	15.07.1958	31.07.2018
20	श्री बशीलाल योगी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के., दौसा	15.07.1958	31.07.2018
21	श्री सुखराम जोशी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के., प्रतापगढ़	18.07.1958	31.07.2018
22	श्री परमानन्द चौबीसा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.उ.के., उदयपुर	20.07.1958	31.07.2018
23	श्री बनवारी लाल शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के., चूरू	05.08.1958	31.08.2018
24	श्री श्याम सुंदर सिंह	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	05.08.1958	31.08.2018



राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

25	श्रीरामप्रसाद ओझेलिया	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. भिवाड़ी	15.08.1958	31.08.2018
26	श्री अशोक कुमार शर्मा	आशुलिपिक	जि.उ.के. जयपुर(ग्रा.)	17.08.1958	31.08.2018
27	श्रीराजकुमार शक्तावत	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. प्रतापगढ़	20.08.1958	31.08.2018
28	श्रीमती मृदुला चतुर्वेदी	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	01.09.1958	31.08.2018
29	श्री हरीश आनन्दानी	कनिष्ठ सहायक	जि.उ.के. भीलवाड़ा	07.09.1958	30.09.2018
30	श्रीश्यामसुन्दर जालानी	निजी सहायक	जि.उ.के. श्रीगंगानगर	18.09.1958	30.09.2018
31	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. श्रीगंगानगर	25.09.1958	30.09.2018
32	श्री हस्तीमल जैन	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	जि.उ.के. जोधपुर	03.10.1958	31.10.2018
33	श्री बृजमोहन पोरवाल	अतिरिक्त निजी सचिव	जि.उ.के. राजसमंद	31.10.1958	31.10.2018
34	श्रीसैयद हसन मुजफ्फर रिजवी	वरिष्ठ सहायक	मुख्यालय	11.11.1958	30.11.2018

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.15 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्र.सं. 18 पर अंकित श्री निरंजन लाल शर्मा, निजी सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, अलवर (रिव्यू संख्या 16/2000), क्र.सं. 24 पर अंकित श्री श्याम सुंदर सिंह, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय (एस.बी.सि.रि.पि. नं. 14698/11) एवं क्र.सं. 29 पर अंकित श्री हरीश आनन्दानी, कनिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा (डी.बी.सि.स्पेशन अपील रिट नं. 342/2017) द्वारा सिविल प्रकरण लम्बित है शेष कर्मचारियों के संबंध में कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

उपरोक्त कर्मचारियों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना आवश्यक होगा।

आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, सीएसआर.




राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं  
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक:एफ1(1537)आ.उ./पीएडी अनु./से.नि./2017

दिनांक 04-10-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, उद्योग मुख्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर/कोटा / जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, संस्थापन/सतर्कता/कम्प्यूटर, मुख्यालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित कार्मिक का नाम, जन्मतिथि व सेवानिवृत्ति की तिथि की जांच संबंधित कार्मिक के सेवाभिलेख से कर लेवे यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा किसी कार्मिक का नाम उक्त आदेश में अंकित होने से रह गया हो तो सूचना इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि वांछित संशोधन जारी किया जा सके।
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. उप निदेशक, आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक, उद्योग  
(प्रशासन)